न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/127

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा निवासी प्लाट नम्बर–20 सीता विहार, दादी का फाटक, झोटवाडा जयपुर।
2. श्री शंकर लाल पुत्र स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा निवासी प्लाट नम्बर–20 सीता विहार, दादी का फाटक, झोटवाडा जयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

3. श्री सीताराम पुत्र स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. मंजू पुत्री स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा निवासी म.न. 319, 320 मुरलीपुरा स्कीम, सीकर रोड जयपुर।
5. सोनाली पुत्री स्व0 श्री महेश तिवाडी निवासी 20 ग्रीन पार्क प्रथम दादी का फाटक बैनाड रोड झोटवाडा, जयपुर।
6. ग्राम पंचायत ताला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ आदेश दिनांक 29.12.2023 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 647 को निरस्त कर तहसीलदार जमवारामगढ को प्रेषित किया है।

उपस्थित–

1. श्री बनवारी कुमावत वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत राजपुरवास ताला द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण संख्या 647 ग्राम पंचायत दिनांक 08.12.2022 को निरस्त कर तहसीलदार जमवारामगढ को पक्षकारान् की विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 29.12.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चौगान प्रसाद शर्मा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 29.12.2023 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.010 गै0 मु0 सडक एवं 918/357 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट् संख्या 1 लगायत 4 की माता एवं रेस्पो0 संख्या 5 की नानी स्व0 श्रीमती धापा देवी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिनका स्वर्गवास दिनांक 01.11.2022 को हो गया था। जिनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 647 ग्राम पंचायत ताला द्वारा विधि के प्रावधानों की अनुपालना में समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जॉच कर दिनांक 08.12.2022 को स्वीकृत किया गया जो कि पूर्णतः न्यायोचित है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने आपस में साजिश करते हुये उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 के विरूद्ध अवैध रूप से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर रेस्पो0 के रजि0 नोटिस जारी किये जो कि कभी भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हुये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की एकपक्षीय बहस सुनकर अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 647 ग्राम पंचायत दिनांक 08.12.2022 को निरस्त कररिमाण्ड करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथाकथित उपहार पत्र के आधार पर विधिअनुरूप खोले गये नामान्तरकरण संया 647 को निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि पूर्णतः अवैध निर्णय है।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 ने तथाकथित उपहार पत्र दिनांक 15.02.2018 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर नामा0 संख्या 647 को चुनौती दी है। उक्त उपहार पत्र के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 ने मृतक खातेदार स्व0 धापा देवी के जीवनकाल में नामान्तरकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने श्रीमती स्व0 धापा देवी का स्वास्थ्य खराब होने पर एवं सुनने, समक्षने की झमता जीर्ण–शीर्ण हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त तथाकथित उपहार पत्र पंजीकृत करवा लिया जिसको स्व0 धापा देवी को कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 ने स्व0 धापा देवी के जीवनकाल में तथाकथित उपहार पत्र दिनांक 15.02.2018 के आधार पर विगत 5 वर्षों तक अपने हक में नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की तथा मरणोपरान्त विधिवत् खोले गये नामा0 संख्या 647 को चुनौती दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों कोविधिवत् नोटिस व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो नामा0 संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 को तलब किया गया और ना ही तहसीलदार जमवारामगढ से कोई रिपोर्ट प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण जैसी फिसीकल प्रोसेंडिग के तहत ना केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को उक्त तथाकथित उपहार पत्र के आधार पर स्व0 चिरंजीलाल का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया अपितु चिरंजीलाल नामक व्यक्ति को भी वासुदेव का उत्तराधिकारी होना निर्णित कर दिया। जो कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई कार्यवाही है। उक्त अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही तय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर अपील को बिना मियाद अधिनियम की धारा–5 का आवेदन लिया गया ना ही प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 को नजरअंदाज कर गुणावगुण पर निर्णित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 29.12.2023 को निरस्त कर नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 को बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 356 रकबा 0.010 गै0 मु0 सडक एवं 918/357 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि पूर्व में धापा बेवा चौगान प्रसाद की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार धापा बेवा चौगान प्रसाद ने वर्ष 2018 में उक्त भूमि को रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 3 को जरिये रजिस्ट्रर्ड उपहार–पत्र कर भूमि का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा उपहारग्रहिता को संभलवा दिया था जिस पर रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 3 बहैसियत मालिक, स्वामी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने उपहार पत्र के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु उसी समय संबधित पटवारी को उपहार पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी थी। फिर भी अपीलांट द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर नामान्तरकरण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 तस्दीक करवा लिया। नामान्तरकरण संख्या 647 दिनांक 08.12.2022 के संबंध में ग्राम पंचायत ताला द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हक, अधिकार व स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादित आराजी का निर्धारण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है तथा विवाद व जांच का विषय होने पर विवाद के बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट से मिलिभगत कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने की अवैध कार्यवाही की है। अतः अपीलांट का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार कानूनन नही बनते है । अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलांट का उक्त विवादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा विधिवत् ही नामान्तरकरण संख्या 647 ग्राम पंचायत दिनांक 08.12.2022 को निरस्त कर तहसीलदार जमवारामगढ को पक्षकारान् की विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 29.12.2023 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा विधिवत् तहसीलदार जमवारामगढ को पक्षकारान् की विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिनांक 29.12.2023 को दिये गये है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित. में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 27.03.2024 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार धापा बेवा चौगान प्रसाद शर्मा की विरासत को लेकर है। खातेदार धापा बेवा चौगान प्रसाद शर्मा द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 356 रकबा 0.010 गै0 मु0 सडक एवं 918/357 रकबा 0.53 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 की रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 15.02.2018 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में की गई है। उक्त रजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा ताला का निर्णय दिनांक 08.12.2022 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 647 को निरस्त किये जाने के विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश जारी किये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 29.12.2023 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

-: संशोधित आदेश :-

आदेश दिनांक 02/06/2025 के अनुसरण में मूल निर्णय दिनांक 16/04/2025 के निर्णय के पेज नं. 4 के अंतिम पैरा संख्या 8 के 11 व 13 पंक्ति में रजिस्ट्रर्ड वसीयत के स्थान पर रजिस्ट्रर्ड उपहार पत्र अंकित किया जाता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर